न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
017/2020(रसद) (GCMS 2020/00303)	14.08.2020	02.11.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. पन्नालाल पिता भूरा लाल तेली उम्र 55 साल निवासी लाखोला थाना गंगापुरा जिला भीलवाडा हाल श्रीनाथ भोजनालय, सुभाषचौक चित्तौड़गढ़ थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़।
2. राजेश पिता पन्नालाल तेली उम्र वयस्क निवासी श्रीनाथ भोजनालय, सुभाषचौक चित्तौड़गढ़ थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़।
3. पप्पुलाल पिता भगवान भील उम्र 20 साल निवासी गढवाडा थाना बिजयपुर जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षीगण

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है आवेदक पुलिस थानाधिकारी, सदर चित्तौड़गढ़ ने आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 21.05.2020 को शाहना खानम पुलिस उप अधीक्षक वृत्त चित्तौड़गढ़ मय जाप्ता मय अनुसंधान सामग्री के मुताबिक मुखबीर की सूचना के भण्डारिया मैन रोड शेखावटी रंगीली होटल पर पहुँच अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से कारोबार करने वाले मौके पर दो व्यक्ति को पुलिस जाप्ते की मदद से पकडा जिनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम पन्नालाल पिता भूरालाल तेली उम्र 55 साल निवासी लाखोला थाना गंगापुर जिला भीलवाडा हाल श्रीनाथ भोजनालय सुभाषचौक चित्तौड़गढ़ थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ दूसरे ने अपना नाम पप्पुलाल पिता भगवान भील उम्र 20 साल निवासी गढवाडा थाना

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

बिजयपुर होना बताया मौके पर एक लोडिंग टेम्पु में 220-220 लीटर के 4 ड्रमों में एक में 175 लीटर डीजल व अन्य तीन ड्रमों में 445 लीटर पेट्रोल एवं उपकरण प्लास्टिक की नली मय नोजल व प्लास्टिक का किमा व दो 20-20 लीटर की खाली प्लास्टिक की केन एक लोहे का ड्रम खोलने का पाना तेल नापने का एक स्टीक का छोटा एवं एक पीतल का बडा गेज 2 काल जरीकेन 50-50 लीटर के खाली, एक छोटा व एक बडा पाना टायर खोलने के तेल निकालने की एक एचपी की मोटर मय नली व वायर के दो बेट्री, एक लोहे की 6 फिट की रोड, स्टेपनी टेम्पू की एक खाली टायर को व अवैध रूप से बेंचे गये पेट्रोल, डीजल की राशि 19720 रूपये नगद मिले उपरोक्त पेट्रोलियम पदार्थ व उपकरण व लोर्डिंग टैम्पों व राशि को वजह सबुत जब्त कर दोना अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया मौके पर पर्चा कायमी मुर्तिब की गई वगैरा पर्चा कायम पर प्रकरण संख्या 161/2020 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 379, 411 भादसं में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान में अभियुक्तगण पन्नालाल पिता भूरालाल तेली उम्र 55 साल निवासी लाखोला थाना गंगापुर जिला भीलवाडा हाल श्रीनाथ भोजनालय सुभाषचौक चित्तौड़गढ़ थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ व पप्पुलाल पिता भगवान भील उम्र 20 साल निवासी गढवाडा थाना बिजयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 379, 411 भादसं का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः प्रकरण में हाजा में जब्तशुदा माल 4 ड्रमों में एक में 175 लीटर डीजल व अन्य तीन ड्रमों में 445 लीटर पेट्रोल व उपकरण प्लास्टिक की नली मय नोजल व प्लास्टिक का किमा व दो 20-20 लीटर की खाली प्लास्टिक की केन एक लोहे का ड्रम खोलने का पाना तेल नापने का एक स्टील का छोटा व एक पीतल का बडा गेज 2 काल जरीकेन 50-50 लीटर के खाली, एक छोटा व एक बडा पाना टायर खोलने के तेल निकालने की एक एचपी की मोटर मय नली व वायर के दो बेट्री, एक लोहे की 6 फीट की रोड, स्टेपनी टेम्पु की एक खाली टायर को व अवैध रूप से बेचे गये पेट्रोल, डीजल की राशि 19720 रूपये नगद एवं जब्तशुदा वाहन का नियमानुसार धारा 6 ए के तहत निस्तारण आदेश कराना फरमावें।

इस पर आवेदक पुलिस थानाधिकारी, सदर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। इस पर दिनांक 02.02.2021 को विपक्षीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

दिनांक 02.11.2021 को हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा माल 4 ड्रमों में एक में 175 लीटर डीजल व अन्य तीन ड्रमों में 445 लीटर पेट्रोल व उपकरण प्लास्टिक की नली मय नोजल व प्लास्टिक का किमा व दो 20-20 लीटर की खाली प्लास्टिक की केन एक लोहे का ड्रम खोलने का पाना तेल नापने का एक स्टील का छोटा व एक पीतल का बडा गेज 2 काल जरीकेन 50-50 लीटर के खाली, एक छोटा व एक बडा पाना टायर खोलने के तेल निकालने की एक एचपी की मोटर मय नली व वायर के दो बेट्री, एक लोहे की 6 फीट की रोड, स्टेपनी टेम्पु की एक खाली टायर को व अवैध रूप से बेचे गये पेट्रोल, डीजल की राशि 19720 रूपये नगद एवं जब्तशुदा वाहन को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा माल 4 ड्रमों में एक में 175 लीटर डीजल व अन्य तीन ड्रमों में 445 लीटर पेट्रोल व उपकरण प्लास्टिक की नली मय नोजल व प्लास्टिक का किमा व दो 20-20 लीटर की खाली प्लास्टिक की केन एक लोहे का ड्रम खोलने का पाना तेल नापने का एक स्टील का छोटा व एक पीतल का बडा गेज 2 काल जरीकेन 50-50 लीटर के खाली, एक छोटा व एक बडा पाना टायर खोलने के तेल निकालने की एक एचपी की मोटर मय नली व वायर के दो बेट्री, एक लोहे की 6 फीट की रोड, स्टेपनी टेम्पु की एक खाली टायर को व अवैध रूप से बेचे गये पेट्रोल, डीजल की राशि 19720 रूपये नगद एवं जब्तशुदा वाहन को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एकतरफा पर चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एकतरफा पर चिंतन-मनन किया। विपक्षीगण द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना प्रमाणित

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ

हैं एवं विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाये जाने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का किसी भी प्रकार से खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिवर्ज किया गया।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एकतरफा पर चिंतन-मनन किया। विपक्षीगण द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना प्रमाणित हैं ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण द्वारा बाहर से अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा माल 4 ड्रमों में एक में 175 लीटर डीजल व अन्य तीन ड्रमों में 445 लीटर पेट्रोल व उपकरण प्लास्टिक की नली मय नोजल व प्लास्टिक का किमा व दो 20-20 लीटर की खाली प्लास्टिक की केन एक लोहे का ड्रम खोलने का पाना तेल नापने का एक स्टील का छोटा व एक पीतल का बडा गेज 2 काल जरीकेन 50-50 लीटर के खाली, एक छोटा व एक बडा पाना टायर खोलने के तेल निकालने की एक एचपी की मोटर मय नली व वायर के दो बेट्री, एक लोहे की 6 फीट की रोड, स्टेपनी टेम्पु की एक खाली टायर को व अवैध रूप से बेचे गये पेट्रोल, डीजल की राशि 19720 रूपये नगद को राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य हैं।

इसके साथ ही प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण का तथ्य हैं, इस संबंध में हस्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 161/2020 दिनांक 22.05.2020 के अवलोकन से जाहिर आया है कि प्रकरण अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ-साथ अपराध अन्तर्गत धारा 379 एवं 411 भादसं के तहत भी पंजीकृत हैं ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहनों का निस्तारण सक्षम न्यायालय से किया जाना अपेक्षित हैं, अतः प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के संबंध सक्षम न्यायालय के आदेश तक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ कस्टडी सुरक्षित रखा जावें।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदक पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 161/2020 दिनांक 22.05.2020 में दिनांक 21.05.2020 को जब्तशुदा माल 4 ड्रमों में एक में 175 लीटर डीजल व अन्य तीन ड्रमों में 445 लीटर पेट्रोल व उपकरण प्लास्टिक की नली मय नोजल व प्लास्टिक का किमा व दो 20-20 लीटर की खाली प्लास्टिक की केन एक लोहे का ड्रम खोलने का पाना तेल नापने का एक स्टील का छोटा

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

व एक पीतल का बडा गेज 2 काल जरीकेन 50-50 लीटर के खाली, एक छोटा व एक बडा पाना टायर खोलने के तेल निकालने की एक एचपी की मोटर मय नली व वायर के दो बेट्री, एक लोहे की 6 फीट की रोड, स्टेपनी टेम्पु की एक खाली टायर को व अवैध रूप से बेचे गये पेट्रोल, डीजल की राशि 19720 रूपये नगद को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं, जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा माल 4 ड्रमों में एक में 175 लीटर डीजल व अन्य तीन ड्रमों में 445 लीटर पेट्रोल व उपकरण प्लास्टिक की नली मय नोजल व प्लास्टिक का किमा व दो 20-20 लीटर की खाली प्लास्टिक की केन एक लोहे का ड्रम खोलने का पाना तेल नापने का एक स्टील का छोटा व एक पीतल का बडा गेज 2 काल जरीकेन 50-50 लीटर के खाली, एक छोटा व एक बडा पाना टायर खोलने के तेल निकालने की एक एचपी की मोटर मय नली व वायर के दो बेट्री, एक लोहे की 6 फीट की रोड, स्टेपनी टेम्पु की एक खाली टायर को व अवैध रूप से बेचे गये पेट्रोल, डीजल की राशि 19720/- रूपये नगद को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>02.11.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official